



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092025-266230
CG-DL-E-18092025-266230

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4101]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2025/भाद्र 26, 1947

No. 4101]

NEW DELHI, WEDNESDAY SEPTEMBER 17, 2025/ BHADRA 26, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

का.आ.4218(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ.1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के अनुसरण में, उक्त अधिनियम के उन प्रयोजनो के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन मानते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.4361(अ), तारीख 19 सितम्बर, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,--

(क) पैरा 2 में, “तीन वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “तीन वर्ष और तीन मास” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) पैरा 6 में, “तीन वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “तीन वर्ष और तीन मास” शब्द रखे जाएंगे ।

[फा.सं. आईए3-1/3/2022-आईए.।।।]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 4361(अ), तारीख 19 सितम्बर, 2022 द्वारा प्रकाशित हुई थी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th September, 2025

S.O. 4218(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government on considering it necessary and expedient, so to do for that puposes of the said Act, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change *vide* number S.O. 4361 (E), dated the 19th September, 2022, namely:-

In the said notification,-

- (a) in paragraph 2, for the words “three years”, the words “three years and three months” shall be substituted;
- (b) in paragraph 6, for the words “three years”, the words “three years and three months” shall be substituted.

[F. No. IA3-1/3/2022-IA.III]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

NOTE :- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 4361 (E) dated the 19th September, 2022.